अतारा.प्र.क्र. 785
परिशिष्ट-1

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़, म0प्र0

क्रमांक/शिकायत/टी0एल0/2016/1783 राजगढ़, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
(टी0एल0 कक्ष)
जिला राजगढ़

विषयः–**नियम विरूद्ध किये गये दो विद्यालयों में स्थानान्तरण एवं निलंबन** अवधि का वेतन रोकन व दो **दिवस का वेतन काटने** की जॉच करने संबंधी शिकायत को विलोपित करने के संबंध में ।
संदर्भः– श्रीमान का टी0एल पत्र दिनांक 05/05/16

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि श्री नरेश गोयल वरिष्ठ अध्यापक, **शा0उ0मा0वि0 करनवास द्वारा** टी0एल0 में शिकायत की गई है । संबंधित श्री गोयल द्वारा निलंबन अवधि फरवरी, मार्च एवं **अप्रैल 2015** का वेतन देने संबंधी शिकायत की गई है । श्री नरेश गोयल की विभागीय **जॉच संस्थित की गई है विभागीय** जॉच उपरान्त श्री नरेश गोयल **की निलम्बन** अवधि के वेतन अंतर की **राशि का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा । विभागीय जॉच प्रचलन में है ।**

श्रीमती सुमनलता शुक्ला प्रभारी प्राचार्या करनवास को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था तथा तथा उ0मा0वि0 में गणित विषय का एक ही पद स्वीकृत होने पर नियम विरूद्ध दो कर्मचारियों का वेतन आहरित करने पर श्रीमती शुक्ला, प्रभारी प्राचार्या को उक्त समय का वेतन वसूली हेतु पत्र लिखा गया है ।

अतः उक्त शिकायत विलोपन करने योग्य है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ़

पृ0क्रमांक/शिकायत/जनसुनवाई/2016/1784 राजगढ़, दिनांक 23/05/16
प्रतिलिपिः–

1– **संबंधित शिकायतकर्ता** नरेश गोयल, वरिष्ठ अध्यापक, शा0उ0मा0वि0 करनवास जिला राजगढ़ **की ओर सूचनार्थ ।**

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ़

एक प्रति प्राप्त
15-6-16

अता.प्र.क्र.789

परिशिष्ट-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़, म.प्र.

क्रमांक/शिकायत/2014/1116-17 राजगढ़, दिनांक 6-5-15

आदेश

कार्यालय जिला पंचायत जिला राजगढ़ का आदेश क्रमांक/शिकायत/शिक्षा/निलंबन/2015/348 राजगढ़ दिनांक 10/2/2015 द्वारा वित्तीय अनियमितता पाई जाने के कारण श्री नरेश गोयल वरिष्ठ अध्यापक उमावि करनवास को निलंबित किया गया था । श्री गोयल को कार्यालयीन पत्र कमांक /शिकायत/2014/109-1110 राजगढ़ दिनांक 5-5-2015 द्वारा बहाल किया गया है । श्री गोयल द्वारा वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध जारी किया गया आरोप पत्र जारी कर प्रतिवाद चाहा गया था । प्रतिवाद संतोषजनक नही होने के फलस्वरूप म0प्र0सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम -14 के तहत विभागीय जॉच संस्थित एवं विभागीय जॉच उपरान्त इनकी निलंबन अवधि का निराकरण करने का निर्णय लिया गया हैं ।

अतएव म0प्र0 सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम -14 के उप नियम (5)मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नरेश गोयल वरिष्ठ अध्यापक उमावि करनवास के विरूद्व लगाये गये आरोपों की जॉच करने के लिए श्री बी0एल0सूर्यवंशी प्राचार्य शा0हाई स्कूल कीलखेडा एवं प्रभारी प्राचार्य श्रीमती सुमनलता शुक्ला (व्याख्याता) उमावि करनवास को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महो0 जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ़

पृ0कमांक/शिकायत/2015-1116-17 राजगढ़, दिनांक 6-5-15

प्रतिलिपिः-

1- कलेक्टर महोदय जिला राजगढ म0प्र.0की ओर सादर सूचनार्थ ।
2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0 की ओर सादर सूचनार्थ
3- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, राजगढ की और सूचनार्थ ।
4- श्री बी0एल0सूर्यवंशी प्राचार्य शा0हाई स्कूल कीलखेडा की और आरोप पत्रादि,की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण की जॉच एक माह में पूर्णकर जॉच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करें ।
4- प्राचार्य, संकुल केन्द्र उमावि करनवास विकास खण्ड राजगढ जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं कार्यावाही हेतु पालनार्थ ।
5- कार्यालयीन स्थापना शाखा की ओर सेवनार्थ ।
6- श्री नरेश गोयल वरिष्ठ अध्यापक उमावि करनवास.विकास खंड राजगढ जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु पालनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ

BL

आ. प्र. क्र. 185
परिशिष्ट-2-3

<u>कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0</u>

कमांक / शिकायत / 2015 / 3562 राजगढ़, दि0 11/12/15

//आदेश//

कार्यालयीन पत्र कमांक / **शिकायत** / 2014 / 1116--17 राजगढ़ दिनांक 06 / 05 / 2015 द्वारा **श्री नरेश गोयल, वरिष्ठ अध्यापक, उ0मा0वि0** करनवास की विभागीय जॉच हेतु श्री बी0एल0 सूर्यवंशी प्राचार्य शा0 हाईस्कूल कीलखेड़ा वर्तमान प्राचार्य प्राचार्य शा0 हाईस्कूल पटाड़ियाधाकड़, को जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था ।

श्री बी0एल0 सूर्यवंशी, प्राचार्य शा0 हाईस्कूल कीलखेड़ा वर्तमान प्राचार्य शा0 हाईस्कूल पटाड़ियाधाकड़ के द्वारा कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत कर एक सहयोगी अधिकारी एवं [illegible] की मांग की गई है ।

श्री सूर्यवंशी, प्राचार्य शा0 हाईस्कूल पटाड़ियाधाकड़ के आवेदन के आधार पर म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम–14 के उपनियम (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नरेश गोयल, वरिष्ठ अध्यापक, शा0उ0मा0वि0 करनवास के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जॉच करने के लिए नवीन समिति गठित की जाती है जो कि निम्नानुसार है:–

<u>नवीन गठित समिति</u>

1	**श्री बी0एल0 सूर्यवंशी, प्राचार्य, शा0 हाईस्कूल पटाड़ियाधाकड, विकासखण्ड सारंगपुर जॉचकर्ता अधिकारी**
2	**श्री जे0पी0 यादव, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ब्यावरा**
3	**श्री प्रताप शाक्य, व्याख्याता एवं प्रभारी प्रा0 शा0उ0मा0वि0 पीपल्याकुल्मी, विकासखण्ड जीरापुर**
4	श्री प्रणील कुमार सक्सेना, सहा0 ग्रेड–2, शा0उ0मा0वि0 मलावर, विकासखण्ड ब्यावरा

उक्त निम्न नवीन गठित समिति प्रकरण की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन 07 दिवस मे इस कार्यालय में प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ़

पृ0कमांक / शिकायत / 2015 / 3562
प्रतिलिपि:–

राजगढ़, दि0 11/12/15

1– **कलेक्टर महोदय, जिला राजगढ़, म0प्र0 ।**
2– **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़, म0प्र0 की ओर सादर सूचनार्थ ।**
3– **विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड राजगढ़ की ओर सूचनार्थ ।**
4– **प्राचार्य, संकुल केन्द्र शा0उ0मा0वि0 करनवास, विकासखण्ड राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ ।**
5– **संबंधित** .... **की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।**

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ़